भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 319 जिसका उत्तर

मंगलवार, 2 दिसंबर**, 2025 (11 अग्रहायण**, **1947,(शक))** को दिया जाना है

ग्रेट निकोबार परियोजना में तटीय क्षेत्र विनियमन और जैव विविधता संबंधी चिंताएँ

319 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे :**

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेट निकोबार परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित पत्तन स्थल तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) **1**क के अंतर्गत आता है**,** जो टर्टल नेस्टिंग और प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्रों में पत्तन निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है**;**

(ख) क्या उच्च अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिवेदन और इस स्थल को पुनर्वर्गीकृत करने वाली **"**ग्राउंड टुथिंग एक्सरसाइज**"** को सार्वजनिक किया गया है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**;** और

(ग) सरकार टर्टल नेस्टिंग ग्राउन्ड**,** प्रवाल भित्तियों और निकोबार के लंबी पूंछ वाले मैकाक और डुगोंग आवास सहित महत्वपूर्ण समुद्री जैव विविधता को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ग): ग्रेट निकोबार में पत्तन स्थल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड़) से संबंधित मामला न्यायाधीन है। इसीलिए, इस चरण पर इस प्रश्न के गुणावगुणों के संबंध में उत्तर देना समुचित नहीं होगा।
